सेवा में,

मुख्य सूचना आयुक्त
राज्य सूचना आयोग, लखनऊ
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जन सू० अधि० अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

के पत्रांक 719-20/जिलाधिकारी कार्यालय जिला गन्ना अधिकारी- गोण्डा के सम्बन्ध में चमर्दई नदी को प्रदूषण सन्दर्भ दिनांक- 22.07.17 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड फैजाबाद से मुक्त कराये जाने विषयक अग्रेतर कार्यवाही बोर्ड द्वारा के कार्यक्षेत्र-गत जिस पर नियमानुसार सुनिश्चित कराया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड फैजाबाद द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।

भवदीय
रमेश कुमार सिंह
ग्रा- कहोबा, पो०- वनकटवा देहात
जि०- गोण्डा
9450172575

भारत सरकार(पी0जी0पोर्टल) सन्दर्भ–संख्या–60000170067160

कार्यालय जिला गन्ना अधिकारी गोण्डा

पत्रांक 7-19-20 /जिलाधिकारी सन्दर्भ दिनांक 22 जुलाई, 2017

जिलाधिकारी

गोण्डा

विषयः–गन्ना घटतौली एवं भ्रषटाचारियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयक कृपया श्री रामकुमार सिंह,निवासी ग्राम कहोबा,पो.–बनकटवा, जनपद गोण्डा के शिकायती पत्र का अवनलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गन्ना घटतौली पर प्रभावी अंकुश बनाये रखने के लिये गन्ना एवं चीनी आयुक्त उ.प्र.,जिलाधिकारी,गोण्डा, अधोहस्ताक्षरी तथा उप गन्ना आयुक्त परिक्षेत्र देवीपाटन द्वारा जॉचदल का गठन किया गया। गठित जॉचदलों द्वारा समय–समय पर जनपद की चीनी मिलों द्वारा संचालित कयकेन्द्रों एवं मिल गेट के कॉटो का आकस्मिक निरीक्षण पूरे पेराई सत्र तक किया गया, यही नहीं विभाग के अन्य परिक्षेत्राधिकरियों द्वारा भी सघंन निरीक्षण सत्र के दौरान किये गये । इस सम्बन्ध में यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि. कुन्दुरखी में दिनांक 21.02.2017 को पेराई सत्र समाप्त हो चुका है और शिकायत का यह बिन्दु दिनांक 24.02.2017 को उठाया गया है। शिकायतकर्ता की मॉग औचित्यपूर्ण है, परन्तु जनपद की चीनी मिलों पर उक्तानुसार प्रभावी कार्यवाही हेतु आगामी पेराई सत्र 2017–18 के प्रारम्भ से पुनः करायी जायेगी, जिससे किसी भी गन्ना किसान का कोई अहित न होने पाये। जहॉ तक बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि. द्वारा चमदई नदी को प्रदूषित किये जाने का प्रश्न है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यह प्रकरण क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यक्षेत्रान्तर्गत है, जिस पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फैजाबाद द्वारा सुनिश्चित कराया जाना है।

अस्तु अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए शिकायत को निक्षेपित कराने का कष्ट करें।

22.7.17

जिला गन्ना अधिकारी
गोण्डा

पत्रांक /तद्दिनांकित

प्रतिलिपि प्रेषित :–

श्री रामकुमार सिंह,निवासी ग्राम कहोबा,पो.–बनकटवा, जनपद गोण्डा को सूचनार्थ।

जिला गन्ना अधिकारी
गोण्डा